इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 91

इस्पात मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		26.00	81.36	107.36	13.00	74.85	87.85	35.00	71.62	106.62
पूंजी		8.00	...	8.00	3.01	...	3.01	1.00	...	1.00
जोड़		**34.00**	**81.36**	**115.36**	**16.01**	**74.85**	**90.86**	**36.00**	**71.62**	**107.62**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	19.71	19.71	...	19.18	19.18	...	18.05	18.05
लौह और इस्पात उद्योग										
2. लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन की योजना	2852	26.00	...	26.00	13.00	...	13.00	35.00	...	35.00
3. सब्सिडी										
3.01 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए ऋणों के संबंध में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को ब्याज सब्सिडी	2852	...	55.48	55.48	...	49.39	49.39	...	48.69	48.69
3.02 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में मैकान लि. को ब्याज सब्सिडी	2852	...	5.24	5.24	...	5.24	5.24	...	4.04	4.04
	जोड़	...	*60.72*	*60.72*	...	*54.63*	*54.63*	...	*52.73*	*52.73*
4. गारंटी शुल्क माफ करना										
4.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि.	2852	...	6.10	6.10	...	6.10	6.10	...	6.10	6.10
4.02 मैकान लि.	2852	...	1.55	1.55	...	1.55	1.55	...	1.20	1.20
घटाईये - निवल प्राप्तियां	0075	...	-7.65	-7.65	...	-7.65	-7.65	...	-7.30	-7.30
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5 ऋण की माफी										
5.01 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज	*2852*	...	...	...	...	8.06	8.06	...	...	...
घटाईये - निवल प्राप्तियां	*0852*	...	...	...	...	-8.06	-8.06	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. ब्याज की माफी										
6.01 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज	*2852*	...	...	...	...	720.63	720.63	...	...	...
घटाईये - निवल प्राप्तियां	*0049*	...	...	...	...	-720.63	-720.63	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. ऋण का इक्विटी में परिवर्तन										
7.01 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज	4852	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	6852	8.00	...	8.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*8.00*	...	*8.00*	*3.00*	...	*3.00*	*1.00*	...	*1.00*
. अन्य कार्यक्रम	2852	...	0.93	0.93	...	1.04	1.04	...	0.84	0.84
कुल जोड़		***34.00***	***81.36***	***115.36***	***16.01***	***74.85***	***90.86***	***36.00***	***71.62***	***107.62***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
8.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	12852	...	10356.00	10356.00	...	10356.00	10356.00	...	12254.00	12254.00
8.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	12852	...	2437.00	2437.00	...	2224.48	2224.48	...	4049.00	4049.00
8.03 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	12852	7.00	...	7.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
8.04 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	12852	...	8.00	8.00	...	...	...	...	...	...
8.05 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	12852	...	700.00	700.00	...	543.00	543.00	...	611.00	611.00
8.08 कुद्रेमुख लौह अयस्क क. लि.	12852	...	85.00	85.00	...	10.00	10.00	...	75.00	75.00
8.07 मैगनीज ओर इंडिया लि.	12852	...	102.25	102.25	...	65.36	65.36	...	115.82	115.82
8.08 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज	12852	1.00	15.61	16.61	...	15.61	15.61	...	40.00	40.00
8.09 मैकान लि.	12852	...	2.00	2.00	...	5.00	5.00	...	2.00	2.00
8.10 एम एस टी सी लि.	12852	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
8.11 फेरो स्क्रैप निगम लि.	12852	...	11.80	11.80	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
जोड़		**8.00**	**13722.66**	**13730.66**	**3.00**	**13236.45**	**13239.45**	**1.00**	**17163.82**	**17164.82**
ग. आयोजना परिव्यय										
लोहा और इस्पात	12852	34.00	13722.66	13756.66	16.01	13236.45	13252.46	36.00	17163.82	17199.82

1. **सचिवालय :** प्रावधान इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए हैं।

2. **लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की संवर्धन स्कीम :** भारतीय आयरन ओर फाइंस एवं नॉन कोकिंग कोयला के इस्तेमाल के जरिए अभिनव/उत्कृष्ट प्रोद्योगिकियों के विकास, इंडक्शन फर्नेस के माध्यम से उत्पादित स्टील की गुणवत्ता में सुधार कार्य और लौह अयस्क एवं कोयला जैसे कच्ची सामग्री के सज्जीकरण तथा एग्लोमरेशन (अर्थात पैलेटाइजेशन) में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढावा देने व इनमें तेजी लाने हेतु प्रावधान किया गया है।

3. **आर्थिक सहायताऐं**

3.01 ***हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड*** **:** स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए।

3.02 ***मेकॉन लिमिटेड*** **:** स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा बैंकों/न्यासों से जुटाए गए ऋणों/बॉंडों पर 50 प्रतिशत ब्याज के भुगतान के लिए।

4. **गारंटी शुल्क को माफ किया जाना**

4.01 ***हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड*** **:** नकद साख और बैंक गारंटी तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर गारंटी शुल्क माफ करने के लिए।

4.02 ***मेकॉन लिमिटेड*** **:** स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए बैंकों/ न्यासों से जुटाए गए ऋणों/बॉंडों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर गारंटी शुल्क माफ करने के लिए।

8. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश**

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विभिन्न पूंजीगत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उपक्रम स्कीमों के पूंजीगत व्ययों को अपने आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा करते हैं फिर भी वित्तीय दृष्टि से कमजोर कुछेक उपक्रमों को इक्विटी निवेश और ऋणों के जरिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।

8.01 ***स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड*** **:** इसके 5 प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं जो बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर एवं सेलम में स्थित हैं और मिश्र इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में स्थित है। 16.2.2006 से इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) जिसका इकीकृत इस्पात संयंत्र बर्नपुर में है और जो सेल की सहायक कंपनी थी, का सेल में विलय कर दिया गया है तथा इसे इस्को स्टील प्लांट नाम दिया गया है। महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड जो फैरो मिश्र का उत्पादन करती है, सेल की एक मात्र सहायक कंपनी है। भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड जो कि इस मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है का विलय भी सेल के साथ किया गया है और इसका नाम अब सेल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड है। सेल संयंत्रों/इकाइयों और इसकी सहायक कंपनियों के योजना परिव्यय को सेल के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

(i) ***भिलाई स्टील प्लांट*** **:** कुल परिव्यय का अधिकांश भाग (3258 करोड रूपए) संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए है और शेष परिव्यय अन्य स्कीमों यथा 700 टीपीडी ऑक्सीजन प्लांट, कोक ओवन बैटरी संख्या-6 का पुनर्निर्माण। माइनिंग राइट्स/रेलवे ट्रैक-रावघाट और अन्य चल रही एवं नई स्कीमों के लिए है।

(ii) ***दुर्गापुर स्टील प्लांट*** **:** दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए 300 करोड रूपए का परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें से 180 करोड रूपए संयंत्र के विस्तार हेतु निर्धारित किए गए हैं। परिव्यय के तहत शामिल अन्य स्कीमों में इआरपी का क्रियान्वयन, संबद्ध सुविधाओं के साथ ब्लूम कास्टर, बीएफ-3 और 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन सम्मिलित हैं तथा श्रीनगर और कांगड़ा स्थित स्टील प्रोसेसिंग यूनिटों का व्यय भी इसमें शामिल हैं।

(iii) ***राउरकेला स्टील प्लांट*** **:** परिव्यय में शामिल बडी स्कीम में आरएसपी का विस्तार (1645 करोड रूपए) किया जाना है। अन्य स्कीमों के रूप में सीओबी संख्या-4 का पुनर्निर्माण, 700 टीपीडी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, कोक ओवन गैस होल्डर की स्थापना, एसएमएस-2 के बीओएफ कन्वर्टरों की समकालिक ब्लोइंग और अन्य चल रही व नई योजनाएं शामिल हैं।

(iv) ***बोकारो स्टील प्लांट*** **:** इसके परिव्यय में बोकारो प्लांट का विस्तार (930 करोड रूपए), सीओबी संख्या-1 व 2 का पुनर्निर्माण, टर्बो ब्लोअर स्टेशन में टी बी की स्थापना, बीएफ-2 का उऑयन और अन्य चल रही एवं नई स्कीमें शामिल हैं।

(v) ***इस्को स्टील प्लांट*** **:** परिव्यय का अधिकांश भाग आई एस पी के विस्तार (3432 करोड रूपए) के लिए निर्धारित हैं। सी ओ बी संख्या 10 के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रावधान (120 करोड रूपए) किया गया है और शेष धनराशि चल रही एवं नई स्कीमों के लिए है।

(vi) ***अलाय स्टील प्लांट*** **:** इसके परिव्यय में विभिऍा पूरी की गई स्कीमें तथा 20 करोड रूपए से कम लागत वाली स्कीमें शामिल हैं।

(vii) **सेलम स्टील प्लांट :** इसके कुल परिव्यय 200 करोड रूपए का अधिकांश भाग एस एस पी के विस्तार (194 करोड रूपए) के लिए है।

(viii) **विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील लि. :** इसके परिव्यय में कम मूल्य वाली विविध स्कीमें शामिल हैं।

8.02 ***राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड*** **:** प्रमुख कच्ची सामग्री के स्रोतों से दूर और तत्कालीन सोवियत रूस से तकनीकी और वित्तीय सहायता से स्थापित भारत का यह पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। तट आधारित होने के कारण इसका फायदा है कि यह आदान सामग्री का आयात और तैयार उत्पादों का निर्यात आसानी से कर सकता है। इस परियोजना की सभी इकाइयों को जुलाई, 1992 तक चालू कर दिया गया था। इसके परिव्यय में आर आई एन एल की उत्पादन क्षमता का विस्तार 6.5 मिलियन टन करने, ए एम आर स्कीमों, कोक ओवन बैटरी सं. 4 (चरण-1 और 2), एयर सेपरेशन प्लांट, बी एफ-1 श्रेणी-1 मरम्मत कार्य, पुलवेराइज्ड कोल इन्जक्शन, लौह अयस्क खानों एवं कोकिंग कोल खानों का अधिग्रहण, 67.5 मेगावाट क्षमता की टी जी-5 विद्युत निकासी प्रणाली इत्यादि शामिल है। समस्त परिव्यय को कंपनी के आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

8.03 ***हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड*** **:** 1964 में निगमित इस कंपनी को आधुनिक इस्पात संयंत्रों का पूरा निर्माण कार्य करने और अवसंरचना के क्षेत्र में उन परियोजनाओं से संबंधित कार्य करने की विशेषज्ञता हासिल है जिनके लिए उच्च स्तर की आयोजना, समन्वय और आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। सरकार के विचाराधीन पीएसयू की पुनर्संरचना हेतु योजना बजटीय सहायता का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

8.04 ***भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड*** **:** भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. के लिए अलग से किसी योजना परिव्यय का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इसे सेल के साथ विलय कर दिया गया है और इसका नाम अब सेल रिफ्रेक्ट्रीज यूनिट है।

8.05 ***एन एम डी सी लिमिटेड*** **:** एन एम डी सी देश का लौह अयस्क और हीरों का एक मात्र सबसे बडा उत्पादक है। कंपनी फैरिक ऑक्साइड और लौह चूर्ण आदि जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन भी शुरू कर रही है। इसके योजना परिव्यय में बैलाडिला डिपाजिट 11 बी, कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना, छत्तीसगढ में 3 मिलियन टन का इस्पात संयंत्र, दौणिमल्लै और बचेली में पेलेटाइजेशन प्लांट, ए एम आर, टाउनशिप तथा अनुसंधान एवं विकास स्कीमें इत्यादि शामिल हैं। पूरे परिव्यय को कंपनी के आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

सं.91/इस्पात मंत्रालय

8.06 ***के आई ओ सी एल लिमिटेड*** : केआईओसीएल लिमिटेड की स्थापना ईरान को निर्यात किए जाने हेतु लौह अयस्क सांद्रण का उत्पादन करने के लिए की गई थी। ईरान द्वारा करार के अनुसार लौह अयस्क सांद्रण को लेने की असमर्थता के परिणामस्वरूप 3 मिलियन टन सांद्रण का उपयोग करने के लिए एक पैलेट संयंत्र लगाने को मई, 1981 में मंजूर किया गया था। 116.65 करोड रूपए की लागत से कार्यान्वित हुई इस परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1987 में शुरू किया गया था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कंपनी को कुद्रेमुख में दिनांक 31.12.2005 से खनन कार्य रोकना पडा था। योजना परिव्यय का प्रावधान मुख्यतः एएमआर स्कीमों के लिए किया गया है। डक्टाईल आयरन स्पंज पाइप प्लांट, मंगलौर में रेल द्वारा लौह अयस्क प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का विकास, अनुसंधान एवं विकास/व्यवहार्यता अध्ययन, ब्लॉस्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन सिस्टम जैसी अन्य स्कीमें भी परिव्यय मे शामिल की गई हैं। परिव्यय को कंपनी के आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

8.07 ***मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड*** : मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी हैं। यह देश की मैंगनीज अयस्क की सबसे बडी उत्पादक है। लाभप्रदता में सुधार करने के लिए कंपनी ने इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाईऑक्साइड और फैरो मैंगनीज जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन शुरू किया है। परिव्यय का अधिकांश भाग फैरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज प्लांट के लिए सेल के साथ संयुक्त उद्यम में निवेश करने (40 करोड रूपए), बोबली में फैरो मैंगनीज प्लांट के लिए आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम में निवेश करने (15 करोड रूपए), गुम गाँव और उकवा खानों में नए वर्टिकल शॉफ्ट स्थापित करने, एएमआर स्कीमों, टाउनशिप, अनुसंधान एवं विकास/व्यवहार्यता अध्ययन इत्यादि के लिए आबंटित किया गया है। पूरे परिव्यय को कंपनी के आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

8.08 ***बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज*** : अक्टूबर, 1980 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत बर्ड ग्रुप कंपनियां प्रमुख रूप से खनन से संबंधित कार्य और गहरे नल कूप लगाने और खनिज गवेषण से संबंधित कार्य कर रही है। भारत सरकार ने बर्ड ग्रुप कंपनियों के पुनर्संरचना प्रस्ताव को दिनांक 10.9.2009 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह प्रावधान वन रोपण तथा पत्रा मामलों, खनिज और अयस्क आधारित खोजी कार्यकलापों तथा ए एम आर योजनाओं के लिए किया गया है। इस परिव्यय की व्यवस्था कंपनी के आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी।

8.09 ***मेकॉन लिमिटेड :*** यह आई एस ओ 9001 प्राप्त देश का प्रथम परामर्शदात्री और इंजीनियरी संगठन है। यह कंपनी न केवल बेसिक इंजीनियरी, विस्तृत इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन आदि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है अपितु इसने लौह, अलौह, तेल और गैस, पेट्रो-रसायन और अन्य सामान्य उद्योगों के लिए उपस्करों के डिजाइन और उनकी आपूर्ति में पर्याप्त विशेषज्ञता भी विकसित की है। इसके योजना परिव्यय में विभिन्न स्थानों में कार्यालय परिसर/अतिथि गृह का विस्तार और नवीनीकरण शामिल है।

8.10 ***एम एस टी सी लिमिटेड :*** यह कंपनी भारत सरकार की एक व्यापारिक कंपनी है जो फैरस स्क्रैप और एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पादन के दौरान उत्पन्न अन्य गौण सामग्रियों के निपटान और अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों के स्क्रैप और अधिशेष भंडारों के निपटान का कार्य करती है। माध्यमीकरण समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् कंपनी के पास कोई माध्यमीकृत मद नहीं है और यह निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य मदों के साथ-साथ स्क्रैप का आयात करती है। योजना परिव्यय का प्रावधान नई स्कीमों को आरंभ करने के लिए किया गया है जिसकी व्यवस्था कंपनी के आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाना है।

8.11 ***फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड :*** एफएसएनएल एमएसटीसी लि. की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम और डोल्वी में स्थित इस्पात संयंत्रों से स्क्रैप की प्राप्ति और प्रक्रमण का कार्य करती है। स्लैग के प्रक्रमण और डम्पों से लोहे और इस्पात के पुनः संसाधन हेतु कंपनी को विभिन्न प्रकार के उपस्करों और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना पड़ता है। योजना परिव्यय ए एम योजनाओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए है जिसे कंपनी के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

9. **अन्य कार्यक्रम** : इसमें लोहा एवं इस्पात विकास आयुक्त, कोलकाता कार्यालय जो कि मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, के कार्यालय के स्थापना व्यय और प्रसिद्ध धातुकर्मियों को दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों का प्रावधान शामिल हैं। यद्यपि लोहा एवं इस्पात विकास आयुक्त का कार्यालय और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिनांक 23.5.2003 से बंद कर दिए गए हैं फिर भी शेष स्टॉफ के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों का प्रावधान किया गया है क्योंकि डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिशेष कर्मचारी तब तक अपने वेतन का आहरण करते रहेंगे जब तक कि वे दूसरे पदों पर नियुक्त नहीं होते हैं अथवा वे अधिवर्षिता/त्याग पत्र/ऐच्छिक सेवा निवृत्ति पर कार्यालय नहीं छोड़ देते हैं।